

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
राजस्थान रेजीडेन्सियल ऐज्युकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (राईस)  
कमरा संख्या 411, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर। 0141-2226666

क्रमांक एफ 3(C)III ( ) राईस/अका./जैसिन्धर (बाडमेर)/2024/१००३ जयपुर, दिनांक 6-11-24  
आदेश

परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान की गई घोषणा संख्या 28 (3) की अनुपालना में पूर्व में संचालित राजकीय अनुसूचित जाति बालक आवासीय विद्यालय जैसिन्धर स्टेशन (बाडमेर) की विद्यार्थी क्षमता में शैक्षणिक सत्र 2024-25 से 280 विद्यार्थी क्षमता की अभिवृद्धि कर कला संकाय के साथ-साथ नवीन विज्ञान संकाय (कक्षा 11 वीं व 12वीं में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान) के संचालन हेतु शिक्षा (गुप-1) के आदेश क्रमांक प. 22 (6) शिक्षा-1/2002 दिनांक 30.04.2015 द्वारा शैक्षणिक पदों एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा गैर-शैक्षणिक पदों के लिए निर्धारित मापदण्डों के आधार पर लेखा शीर्ष 2225-01-196-(22)-[01] (राज्य निधि) मद में वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी. संख्या 162401842 दिनांक 01.10.2024 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में निम्नानुसार नवीन पद सृजन करने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है:-

क.स.	पदनाम	पे मैट्रिक्स लेवल	पदों की संख्या	नियुक्ति का माध्यम
1	व्याख्याता	L-12	3	शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
2	वरिष्ठ अध्यापक	L-11	(-) 1	
3	अध्यापक लेवल-2	L-10	3	
4	प्रयोगशाला सहायक	L-8	3	
5	प्रयोगशाला सेवक	L-1	3	
6	वरिष्ठ सहायक	L-5	1	विभागीय
	योग		12	

आवासीय विद्यालय के लिए विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप न्यूनतम आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक अनावर्तक सामग्री यथा विद्यालय फर्नीचर, बैड, गद्दे, कम्बल, बैड सीट, तकिया एवं बर्तन (सूची संलग्न) का क्रय राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रति आवासी राशि रुपये 14697/- की अधिकतम सीमा में सम्बन्धित लेखा शीर्षों में उपलब्ध बजट प्रावधान में से नियमानुसार कराया जाना है।

(बचनेश कुमार अग्रवाल)  
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref  
11566674



Signature valid

Digitally signed by Bachanesh  
Kumar Agrawal  
Designation: Director  
Date: 2024.11.06 13:12:14 IST  
Reason: Approved

क्रमांक एफ 3(C)III( ) राईस/अका./जैसिन्धर (बाडमेर)/2024/2004-24 जयपुर, दिनांक 6-11-24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्या सचिव (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा), राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, सामा. न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2)/आयोजना (योजना वित्त)/वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, राजस्थान, जयपुर।
8. जिला कलक्टर, बाडमेर।
9. निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक, शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
10. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
11. सचिव, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाडमेर।
13. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता), सामा. न्याय एवं अधि. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. वित्तीय सलाहकार/अतिरिक्त निदेशक (योजना), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. संयुक्त निदेशक (I.T.) मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
16. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक), बाडमेर।
17. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, बाडमेर।
18. उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाडमेर।
19. प्रधानाचार्य, राजकीय अनुसूचित जाति बालक आवासीय विद्यालय जैसिन्धर स्टेशन (बाडमेर)।
20. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref  
11566674

Signature valid

Digitally signed by Bachanesh  
Kumar Agrawal  
Designation: Director  
Date: 2024.11.06 13:12:14 IST  
Reason: Approved